संख्या -103/सीपी 448/84-2-2013-सीपी 3/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर 2013

विषय स्व0 राम निरंजन, चपरासी की मृत्यु के उपरांत मृतक आश्रित के रूप में उनके पुत्र श्री दिनेश कुमार को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3166/एससीडीआरसी/अधि 42/2012, दिनांक 29.11.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-वे0आ0-2-3226/दस-59(एम)/2008, दिनांक 04 जनवरी, 2011 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर-2 में की गयी व्यवस्था, उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, 1974 के अंतर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी। जहां तक कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति का सम्बन्ध है, में यह उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में मृतकाश्रित नियमावली के प्राविधान स्पष्ट हैं। कृपया तद-नुसार अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in